

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 37/2023

दिनांक:-12 जनवरी, 2024

विषय: पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की वैधता को बढ़ाने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.52 (ग) में दिए गए प्रावधान के अनुसार छूट को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:-

पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता को विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिषिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र (परिषिष्ट एवं एएनएफ) के परिषिष्ट 2छ में शामिल किया गया है, जो दिनांक 27.12.2023 को तीन वर्ष का उनका मूल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं; को दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाया जाता है।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिषिष्ट एवं एएनएफ के परिषिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की वैधता दिनांक 27.12.2023 से 31.03.2024 तक आगे बढ़ाई गई है।

संतोष कुमार सारंगी
12.1.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/53/8/एम-20/पीएसआईए-2/आईसी/ई-18059 से जारी)